दिनांक 12.08.2014 को गढ़वाल मंडल विकास निगम द्वारा जिला हरिद्वार, के अर्न्तगत राऊ नदी सुमन नगर में उपखनिज चुगान एवं संग्रहण हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए आहूत लोकसुनवाई का कार्यवृत्त

गढ़वाल मंडल विकास निगम, द्वारा जिला हरिद्वार के अर्न्तगत राऊ सुमन नगर में उपखनिज चुगान संग्रहण हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए जन सुनवाई का आयोजन किया गया। पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून में प्रस्ताव प्राप्त हुआ। उक्त प्रस्ताव पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय भारत सरकार की पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना–2006 के अन्तर्गत ...छादित है। लोक परामर्श हेतु विज्ञप्ति दैनिक समाचार पत्रों में 03.07.2014 को प्रकाशित की गयी थी। ...धेकारी, हरिद्वार द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी (वित्त) की अध्यक्षता में ग्राम पंचायत भवन, परिसर ...ो में लोक सुनवाई आयोजित की गयी । लोक सुनवाई की उपस्थिति संलग्नानुसार रही।

अध्यक्ष महोदया की अनुमति द्वारा दिनांक 12.08.14 को लोक सुनवाई की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। इस अनुक्रम में परामर्शी संस्था ग्रास रूट्स रिसर्च एण्ड किएसन इण्डिया प्रा0लि0, नोएडा द्वारा परियोजना की पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन तथा प्रबन्धन योजना कर विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया है। जिसका विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत है:–

- इस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य नदी से उपखनिजों का संग्रहण किया जाना है, जिसका उपयोग विभिन्न निर्माण कार्यो में किया जायेगा। प्रस्तावित नदी स्थल हरिद्वार जिले के, सुमन नगर के निकट राऊ नदी पर स्थित है एवं आरक्षित वन क्षेत्र हरिद्वार वन विभाग के अर्न्तगत नही है।
- परियोजना क्षेत्र भूकम्प जोन 4 के अन्तर्गत आच्छादित है। कार्य क्षेत्र में कोई पुरात्तविक स्मारक एवं रक्षा प्रतिष्ठान नही है।
- प्रस्तावित खनन /चुगान में गंगा नदी में 10.350 हेक्टेअर क्षेत्रफल से 1.386 लाख टन खनिज प्रतिवर्ष (खनन) चुगान निष्कर्षण हेतु है। इस परियोजना में नदी के तटों से 15% भाग और नदी जल से 12 मीटर सुरक्षित दूरी छोडकर खनन किया जायेगा। खनन की कुल गहराई 1.5 मीटर तक सीमित होगी तथा खनन पूर्ण रूप से मैन्यूएल व वैज्ञानिक तरीके से किया जायेगा। प्रस्तावित आपेक्षित खनन अवधि 5 साल की होगी, और वर्ष के नौ महिनो में खनन का कार्य किया जायेगा।
- प्रस्तुतिकरण के समय पर्यावरण मूल्यांकन प्रभाव रिपोर्ट में प्रदर्शित जल/वायु/ध्वनि इत्यादि के एकत्रित नमूनो के परिणामों को भी दिखाया गया जो कि मानको के अनुरूप बताये गये।
- परियोजना स्थल पर कोई विस्फोटक सामग्री का प्रयोग नही किया जायेगा। गढ़वाल मंडल विकास निगम के सीमांकन के पश्चात मैन्यूअल तरीके से ही खनन किया जायेगा।
- ट्रको एवं वाहनो के चलने से होने वाले ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम हेतु वाहनों के रखरखाव, यातायात प्रबन्धन, ध्वनि का अनुश्रवण तथा पीयूसी प्रमाणित वाहनो का ही प्रयोग किया जायेगा। धूलकणो की रोकथाम हेतु कार्यस्थल एवं सडको पर पानी छिडकाव किया जायेगा।
- कार्यरत कार्मिको को समस्त सुरक्षा उपकरण उपलब्ध करायें जायेंगे तथा परियोजना मे पर्यावरण प्रबन्धन हेतु रू0 4.56 लाख का बजट प्रस्तावित है।

प्रस्तुतीकरण के बाद परियोजना के सम्बन्ध में जन समुदाय को उनके सूझाव एवं आपत्तियों हेतु आमंत्रित किया गया तथा जन समुदाय द्वारा प्रस्तुत सूझावों एवं आपत्तियों का विवरण निम्नानुसार है–

1. श्रीमती तारावती एवं श्रीमती ललीता द्वारा अवगत कराया गया कि क्षेत्र में पीने के पानी की कमी है, सडकों की हालत खराब है। अवैध खनन होने से सडकें टूट रही है तथा पानी की निकासी भी नही है जिसके कारण क्षेत्र में साप्ताहिक रूप से लगने वाली पैंठ बाजार में भी समस्या होती है। साथ ही साथ क्षेत्र में सरकारी योजनायें पेंशन कार्ड, विधवा कार्ड इत्यादि भी नही बने है। अवैध खनन तत्काल रूप में बन्द होना चाहिये तथा सरकारी संस्था के माध्यम से खनन हो जिसमें स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाये। इस पर गढवाल मंडल विकास निगम के पदाधिकारियों द्वारा कहा गया कि उत्तराखण्ड शासन की निति के अनुसार खनन में सर्वप्रथत उत्तराखण्ड वासियों को प्राथमिकता दी जायेगी तथा इस कार्या में स्थानीय ग्राम पंचायत, ग्राम सभा इत्यादि की भागीदारी भी सुनिश्चित की जायेगी।

2. श्री राजेन्द्र सिंह द्वारा कहा कि परियोजना हेतु जो क्षेत्रफल दिया गया है इसका सीमांकन किस प्रकार होगा। इस पर बताया गया कि खनन हेतु शासन द्वारा खसरे निर्धारित किये गये है तथा सिंचाई विभाग, वन विभाग, स्थानीय प्रशासन इत्यादि की संयुक्त टीम के साथ सीमांकन किया जायेगा। श्री राजेन्द्र सिंह द्वारा पुनः पुछा गया कि खनन से जो आमदनी निगम को प्राप्त होगी उसका उपयोग ग्राम के विकास में किस प्रकार किया जायेगा तथा खनन प्रकिया किस प्रकार होगी। इस पर बताया गया कि खनन से जो रायल्टी प्राप्त होगी उसके 10 प्रतिशत भाग का उपयोग स्थानीय क्षेत्र में आधारभूत ढांचागत सुविधाओं के विकास में किया जायेगा। नदी से अतिरिक्त मलबा हटाते हुये समतलीकरण किया जायेगा तथा सीमांकन के पश्चात नदी में पंहुच मार्ग बनाया जायेगा। अवैध खनन न हो इस हेतु निगम की टीम खनन क्षेत्र में सर्वेक्षण करती रहेगी। श्री राजेन्द्र सिंह द्वारा इस समस्या पर भी प्रकाश डाला गया कि गांव में साफ पानी की व्यवस्था नही हो पायी है एवं दूषित पानी पीने से लोगों में बिमारियां फैल रही है जिस पर उनको सुझाव दिया गया कि इस हेतु सम्बन्धित विभागों यथा पेयजल निगम, जल संस्थान को लिखा जाना उचित होगा।

3. श्री विरेन्द्र कुमार द्वारा यह पूछा गया कि ग्राम अन्नेकी से पथरी तक कुल 8 गांव पडते है। इस परियोजना द्वारा किन–किन गांवों को मिलेगा। इस पर गढवाल मंडल विकास निगम के पदाधिकारियों द्वारा कहा गया कि उत्तराखण्ड शासन की निति के अनुसार खनन में सर्वप्रथत उत्तराखण्ड वासियों को प्राथमिकता दी जायेगी तथा इस कार्या में स्थानीय ग्राम पंचायत, ग्राम सभा इत्यादि की भागीदारी भी सुनिश्चित की जायेगी।

4. श्री महेन्द्र सिंह द्वारा इस तथ्य पर प्रकाश डाला गया कि क्षेत्र के आस–पास औद्योगिक इकाईयों के आने से अत्यधिक खनन हो रहा है जिससे जेल स्तर नीचे चला गया है एवं अवैध खनन भी हो रहा है। इस पर गडवाल मंडल विकास निगम द्वारा बताया गया कि अवैध खनन की रोकथाम हेतु भी सरकारी माध्यम से वैज्ञानिक तरीकों से खनन प्रस्तावित किया जा रहा है।

दिनांक 12.08.2014 को गढ़वाल मंडल विकास निगम द्वारा जिला हरिद्वार, के अर्न्तगत राऊ नदी सुमन नगर में उपखनिज चुगान एवं संग्रहण हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए आहूत लोकसुनवाई का कार्यवृत्त

गढ़वाल मंडल विकास निगम, द्वारा जिला हरिद्वार के अर्न्तगत राऊ सुमन नगर में उपखनिज चुगान संग्रहण हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए जन सुनवाई का आयोजन किया गया। पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून में प्रस्ताव प्राप्त हुआ। उक्त प्रस्ताव पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय भारत सरकार की पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना–2006 के अन्तर्गत आदित है। लोक परामर्श हेतु विज्ञप्ति दैनिक समाचार पत्रों में 03.07.2014 को प्रकाशित की गयी थी। धिकारी, हरिद्वार द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी (वित्त) की अध्यक्षता में ग्राम पंचायत भवन, परिसर ल में लोक सुनवाई आयोजित की गयी । लोक सुनवाई की उपस्थिति संलग्नानुसार रही।

अध्यक्ष महोदया की अनुमति द्वारा दिनांक 12.08.14 को लोक सुनवाई की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। इस अनुक्रम में परामर्शी संस्था ग्रास रूट्स रिसर्च एण्ड किएसन इण्डिया प्रा0लि0, नोएडा द्वारा परियोजना की पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन तथा प्रबन्धन योजना कर विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया है। जिसका विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत है:–

- इस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य नदी से उपखनिजों का संग्रहण किया जाना है, जिसका उपयोग विभिन्न निर्माण कार्यो में किया जायेगा। प्रस्तावित नदी स्थल हरिद्वार जिले के, सुमन नगर के निकट राऊ नदी पर स्थित है एवं आरक्षित वन क्षेत्र हरिद्वार वन विभाग के अर्न्तगत नही है।
- परियोजना क्षेत्र भूकम्प जोन 4 के अन्तर्गत आच्छादित है। कार्य क्षेत्र में कोई पुरात्तविक स्मारक एवं रक्षा प्रतिष्ठान नही है।
- प्रस्तावित खनन /चुगान में गंगा नदी में 10.350 हेक्टेअर क्षेत्रफल से 1.386 लाख टन खनिज प्रतिवर्ष (खनन) चुगान निष्कर्षण हेतु है। इस परियोजना में नदी के तटों से 15% भाग और नदी जल से 12 मीटर सुरक्षित दूरी छोडकर खनन किया जायेगा। खनन की कुल गहराई 1.5 मीटर तक सीमित होगी तथा खनन पूर्ण रूप से मैन्यूएल व वैज्ञानिक तरीके से किया जायेगा। प्रस्तावित आपेक्षित खनन अवधि 5 साल की होगी, और वर्ष के नौ महिनो में खनन का कार्य किया जायेगा।
- प्रस्तुतिकरण के समय पर्यावरण मूल्यांकन प्रभाव रिपोर्ट में प्रदर्शित जल/वायु/ध्वनि इत्यादि के एकत्रित नमूनो के परिणामों को भी दिखाया गया जो कि मानको के अनुरूप बताये गये।
- परियोजना स्थल पर कोई विस्फोटक सामग्री का प्रयोग नही किया जायेगा। गढ़वाल मंडल विकास निगम के सीमांकन के पश्चात मैन्यूअल तरीके से ही खनन किया जायेगा।
- ट्रको एवं वाहनो के चलने से होने वाले ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम हेतु वाहनों के रखरखाव, यातायात प्रबन्धन, ध्वनि का अनुश्रवण तथा पीयूसी प्रमाणित वाहनो का ही प्रयोग किया जायेगा। धूलकणो की रोकथाम हेतु कार्यस्थल एवं सडको पर पानी छिडकाव किया जायेगा।
- कार्यरत कार्मिको को समस्त सुरक्षा उपकरण उपलब्ध करायें जायेंगे तथा परियोजना मे पर्यावरण प्रबन्धन हेतु रू0 4.56 लाख का बजट प्रस्तावित है।

इसके उपरान्त अध्यक्ष महोदया द्वारा मत विभाजन की कार्यवाही कराई गयी एवं कहा गया कि जो भी व्यक्ति गंढवाल मंडल विकास निगम द्वारा राऊ नदी सुमन नगर में उपखनिज चुगांन एवं संग्रहण के विरोध में हैं वह अपने–अपने हाथ उठाये इस पर सभा में उपस्थित मात्र एक व्यक्ति श्री दीपक द्वारा हाथ उठाकर खनन के विपक्ष में मतदान किया गया। पुनः यह उच्चारण किया गया कि जो व्यक्ति गढवाल मंडल विकास निगम द्वारा प्रस्तावित खनन का समर्थन करते है वह अपने–अपने हाथ उठाये इस पर सुनवाई के समय सभा में उपस्थित श्री दीपक के अतिरिक्त अन्य सभी व्यक्तियों द्वारा हाथ उठाकर खनन के पक्ष में मतदान किया गया।

अतः उपरोक्त मत विभाजन की कार्यवही के अनुक्रम में वैज्ञानिक तरीके से राऊ नदी सुमन नगर से उप खनिज चुगान की सहमति दर्ज करते हुये कार्यवृत्त को जन समुदाय को पढकर सुनाया गया तथा पुरी प्रकिया की विडियो रिर्काडिंग भी कराई गयी। अन्त में अध्यक्ष महोदया के धन्यवाद के साथ लोक सुनवाई का समापन किया गया।

एम0डी0 ढौंडियाल	डॉ0 अंकुर कंसल	रवनीत चीमा
समन्वयक, गंढवाल मंडल	क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0)	अपर जिलाधिकारी (वित्त)
विकास निगम, हरिद्वार	उ0प0सं0प्र0नि0बो0, रूडकी	जिला हरिद्वार

दिनांक 12.08.2014 को गढ़वाल मंडल विकास निगम द्वारा जिला हरिद्वार, के अर्न्तगत गंगा नदी सुमननगर में उपखनिज चुगान एवं संग्रहण हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए आहूत लोकसुनवाई मे उपस्थिति

कम स0	नाम / पदनाम	हस्ताक्षर
1	रवनीत चीमा, उपजिलाधिकारी (वि०) [illegible]	[illegible]
2	डा॰ अंकुर कंसल, क्षे॰अ॰ प्र॰नि॰बो॰ रुड़की	[illegible]
3	एम॰डी॰ डोडियाल, समन्वयक, GMVN	[illegible]
4	राकेश भण्डारी सहा॰अभि॰ प्र॰नि॰बो॰, रुड़की	[illegible]
5	तारापती	तारापती
6	तरूणा कुमारी	
7.	ललिता	ललिता
8	तेलूराम	तेलूराम
9	राजेन्द्र सिंह	[illegible]
10	शांती	
11	माला	
12	मूलचन्द बाटे	मूलचन्द
13	दिनेश कुमार	दिनेश
14	चमेला	चमेला
15	रविकुमार	[illegible]
16	रविन्द्र	[illegible]
17	नीलम	नीलम
18	सविता	सविता

क्रम स0	नाम / पदनाम	हस्ताक्षर
19		
20	Sheetal कवरपाल	Sheetal कवरपाल
21	Ankit kumar	
22	संजय कुमार	संजय कुमार
23	संयम सिंह	
24	सुनील कुमार	सुनील कुमार
25	इलमसिंह	इलमसिंह
26	अक्षय कुमार	अक्षय कुमार
27	Rahul	Rahul
28	लखमीरसिंह	लखमीरसिंह
29	रातीराम	
30	अतरसिंह	
31	वीरेन्द्र कुमार	
32	ياسين	ياسين